कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 5335 /14–1, आगरा, दिनांक, 10 जून, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– जनपद आगरा के अन्तर्गत भारत संचार निगम लि0 द्वारा आगरा–बाह–कचौराघाट मार्ग के किमी0 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दांयी पटरी पर ग्राम अरनौटा से ग्राम कचौराघाट तक ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अन्तर्गत संयोजन हेतु आप्टीकल फाईबर केबिल डालने हेतु प्रभावित 1.395 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपके कार्यालय की पत्र सं0–3405/11–सी दिनांक 26.04.2023 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा का पत्रांक 5808/14–1 दि 12.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के सन्दर्भित पत्र (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, के आधार पर अनुपालन आख्या निम्नवत् है :–

क0सं0	आपत्ति	अनुपालन
1.	प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनवद्वता संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का शुद्व वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनवद्वता संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
3.	प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनवद्वता संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
4.	प्रस्ताव के साथ संलग्न वन संरक्षक, आगरा का पत्र एवं संस्तुति का भाग–3 में किमी0 44.700 चैनेज से 91.700 तक अंकित है, जबकि प्रभागीय निदेशक, आगरा के स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में किमी0 44.700 से 91.200 तक अंकित है। इसके अतिरिक्त प्रभागीय निदेशक द्वारा अन्य प्रमाण पत्र की पेज सं0–13, 27, 28, 31, 39, 41, 42, 43, 44 एवं 53 पर भी किमी0 44.700 चैनेजे 91.200 तक अंकित है। अतः स्थिति स्पष्ट करते हुए सही चैनेज संख्या अंकित कर प्रस्ताव के साथ संशोधित वचनवद्वता/प्रमाण संलग्न कर ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड करें।	प्रभागीय निदेशक, आगरा द्वारा सही चैनेज अंकित कर सम्बन्धित संशोधित वचनबद्धता/ प्रमाण पत्र एवं वन संरक्षक, आगरा का संस्तुति का भाग–3 संशोधित कर संलग्न कर प्रेषित है।
5.	प्रस्ताव के साथ पेनड्राइव संलग्न है। अतः पुनः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर विषयसूची सहित प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक एक ही फोल्डर में पी.डी.एफ. फाईल अपलोड कर एक प्रस्ताव के साथ पेन ड्राइव सहित संलग्न करें।	संलग्न है।

प्रस्ताव की आपत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख, वचनबद्धता/प्रमाण पत्र 03 प्रतियों में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 5335 /14-1 समदिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि डिवीजनल इंजीनियर, भारत संचार निगम लि0, टैक्स भवन, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा। o/c

OS/Draftman/letter-22